नगर निगम रोहतक की दिनांक 30.07.2015 को हुई सामान्य बैठक की कार्यवाही रिर्पोट

दिनांक 30.07.2015 को प्रातः 11:00 बजे बैठक हाल, प्रथम तल, उपायुक्त कार्यालय, रोहतक में श्रीमती रेणु डाबला, मेयर, नगर निगम रोहतक की अध्यक्षता में नगर निगम की सामान्य बैठक आयोंजित की गई।

बैठक निम्नलिखित पार्षदगण उपस्थित हुएः-

1. श्रीमती मंजू, सदस्य वार्ड नं0-6 एवं वरिष्ठ उप-मेयर, नगर निगम, रोहतक।
2. श्री अशोक कुमार, सदस्य वार्ड नं0-16 एवं उप-मेयर, नगर निगम, रोहतक।
3. श्री राजबीर, सदस्य वार्ड नं0-1, नगर निगम, रोहतक।
4. श्रीमती ममता रानी, सदस्य वार्ड नं0-2, नगर निगम, रोहतक।
5. श्रीमती सुशीला इंदौरा, सदस्य वार्ड नं0-3, नगर निगम, रोहतक।
6. श्री सूरजमल, सदस्य वार्ड नं0-5, नगर निगम, रोहतक।
7. श्रीमती सरिता, सदस्य वार्ड नं0-7, नगर निगम, रोहतक।
8. श्रीमती उपासना देवी, सदस्य वार्ड नं0-8, नगर निगम, रोहतक।
9. श्री बलराज सिंह, सदस्य वार्ड नं0-9, नगर निगम, रोहतक।
10. श्री अशोक कुमार, सदस्य वार्ड नं0-10, नगर निगम, रोहतक।
11. श्रीमती अनिता मिगलानी, सदस्य वार्ड नं0-11, नगर निगम, रोहतक।
12. श्री गुलशन ईशपुनियानी, सदस्य वार्ड नं0-12, नगर निगम, रोहतक।
13. श्री संजय, सदस्य वार्ड नं0-13, नगर निगम, रोहतक।
14. श्रीमती नीरा, सदस्य वार्ड नं0-14, नगर निगम, रोहतक।
15. श्री अजय कुमार जैन, सदस्य वार्ड नं0-15, नगर निगम, रोहतक।
16. श्री जयकिशन, सदस्य वार्ड नं0-17, नगर निगम, रोहतक।

17. श्रीमती पूनम, सदस्य वार्ड नं0-18, नगर निगम, रोहतक।

18. श्री अनिल, सदस्य वार्ड नं0-19, नगर निगम, रोहतक।

19. श्रीमती लक्ष्मी, सदस्य वार्ड नं0-20, नगर निगम, रोहतक।

सर्वप्रथम मेयर नगर निगम द्वारा सभी उपस्थित पार्षदों, आयुक्त नगर निगम रोहतक तथा नगर निगम अधिकारियों/कर्मचारियों का बैठक में भाग लेने पर स्वागत किया। सर्वप्रथम सदन में भूतपूर्व राष्ट्रपति डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम जी आकस्मिक निधन पर दो मिनट का मौन रखते हुए उन्हे श्रद्वांजलि अर्पित की। तदोपरान्त बैठक की कार्रवाई आरन्भ करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिए गये:-

1. दिनांक 26.03.2015 को बैठक मे लिए गये निर्णयों पर नगर निगम रोहतक द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट सभी पार्षदगण को पत्र क्रमांक एम0सी0आर0/स्पेश्ल-1 दिनांक 04.07.2015 के द्वारा भेज दी गई थी जिसपर नगर निगम को किसी भी पार्षदगण से कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई तथा न ही सदन में किसी द्वारा कोई आपत्ति नही जताई गई। अतः सदन द्वारा इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया।

इसके पश्चात् बैठक में दिनांक 06.07.2015 को नगर निगम की सामान्य बैठक के लिए जारी किये गये एजेन्डे पर विचार विमर्श करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिए गये:-

क्र0 सं0	ऐजन्डा	निर्णय
1.	**नगर निगम क्षेत्र में प्लाटों के विभाजन व उनके भवन प्लान पारित करना।** नगर निगम रोहतक के सदन से दिनांक 8.6.2014 की बैठक में नगर निगम क्षेत्र की नियमित कालोनियों में नियमित होने उपरान्त यदि प्लाट में कोई विभाजन होता है तो उसके भवन प्लान पारित करने का प्रस्ताव पारित किया था, परन्तु दिनांक 26.3.2015 की बैठक में प्रस्ताव न0. 7 में तत्कालीन अधिकारियों द्वारा भवन पारित न करने के कारण इसे सरकार के पास मार्गदर्शन हेतु भेजा गया। सरकार द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2228 दिनांक 5.6.2015 में स्पष्ट किया है कि कालोनी के नियमित होने उपरान्त यदि प्लाट में आगे कोई विभाजन होता है तो धारा 231 के तहत नगर निगम उसे स्वीकृत करने में सक्षम है। अतः सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है।	रोहतक नगर निगम क्षेत्र में नियमित कालोनियो के प्लाटो के विभाजन पर भवन प्लान पारित करने पर दिनांक 26.03.2015 की बैठक में तत्कालीन अधिकारियो द्वारा रोक लगा दी गई थी। जिस के संदर्भ में सरकार से मार्गदर्शन मांगा गया। यहा यह स्पष्ट किया जाता है कि नगर निगम, रोहतक के क्षेत्र में नियमित कालोनियो में नगर निगम से बिना स्वीकृत करवाए लोगो द्वारा प्लाटो का विभाजन किया हुआ है, जब किसी व्यक्ति को अपना मकान बनाना होता है तो उसे अपना भवन प्लान स्वीकृत करवाना होता है। नगर परिषद के समय में ऐसे विभाजित प्लाटो के नक्शे बिना स्वीकृति के पारित कर दिए गए। प्लाट विभाजन के पश्चात एक भाग का नक्शा पास कर दिया गया तथा दूसरे का अब नगर निगम को भवन प्लान स्वीकृति हेतु नक्शा प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में धारा 231 के तहत प्लाट के वास्तिविक मालिक को अपना प्लाट विभाजन का नक्शा नगर निगम को प्रस्तुत करना होता है ताकि उसे स्वीकृत किया जा सके, परन्तु ऐसा संभव नही है क्योकि प्लाट का वास्तविक मालिक द्वारा बहुत पहले ही प्लाट का विभाजन कर प्लाट बेच दिए जाते है तथा विभाजित प्लाट के मालिक

		को जब नक्शा पारित करवाना होता है तो उसका नक्शा पारित नही होता। नगर निगम, रोहतक के सदन द्वारा दिनांक 08.06.2014 की बैठक में ऐसे सभी विभाजित प्लाटो के नक्शे पारित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया था, परन्तु दिनांक 26.03.2015 की बैठक में तत्कालीन अधिकारियो द्वारा ऐसे प्लाटो के नक्शे पारित करने से मना कर दिया गया तथा यह प्रस्ताव सरकार के पास मार्गदर्शन हेतु भेज दिया गया। निदेशक शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पत्र क्रमांक 2228 दिनांक 05.06.2015 के द्वारा मार्ग दर्शन दिया गया है कि "at the time when un-uthorized colonies were regularized by the Government, the sub-division of plots occurred prior to the regularization got regularized. However, in case of further sub-division of plot in the regularized colonies, the Corporation is the competent authority as per Section 231 of Haryana Municipal Corporation Act, 1994." अतः इस आधार पर भवन प्लान पारित करने पर निर्णय सदन द्वारा लिया जाना है। सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया तथा आयुक्त एवं संयुक्त आयुक्त नगर निगम रोहतक को नगर निगम क्षेत्र में प्लाटों के विभाजन की स्वीकृति देने व उनके भवन प्लान पारित करने हेतू अधिकृत किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि सभी पारित भवन प्लान की सूचना नगर निगम की सामान्य बैठक में उपलब्ध करवाया जाये। **(सम्बन्धित भवन निरीक्षक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
2.	**वर्ष 2004 व वर्ष 2013 में नियमित कालोनियों में खाली पड़े प्लाट के भवन प्लान पारित करने बारे।** नगर निगम क्षेत्र में वर्ष 2004 व वर्ष 2013 में जो कालोनिया नियमित की गई थी, उनमें खाली पड़े प्लाट के भवन प्लान के संदर्भ में दिनांक 26.3.2015 की बैठक में प्रस्ताव न0. 7 पारित कर सरकार से मार्गदर्शन भी मांगा गया था, जिसके सन्दर्भ में निदेशालय के पत्र क्रमांक 2228 दिनांक 5.6.2015 में स्पष्ट किया है कि निर्धारित विकास शुल्क जमा करवाकर भवन प्लान पारित किये जाए। अतः सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है।	नगर निगम, रोहतक क्षेत्र में वर्ष 2004 व 2013 में जो कालोनिया नियमित हुई थी उनमें नियमित होने के समय खाली पड़े प्लाटो के नक्शे फरवरी व मार्च 2015 में तत्कालीन अधिकारियो द्वारा पारित नही किए तथा यह ऐतराज लगा दिया कि इन पर एक्ट 1975 की धारा 7-क लागू होती है। यहा यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्ष 2004 में जो कालोनिया नियमित की वह एक्ट 1975 की धारा 8 के तहत की गई तथा नियमित की गई कालोनियो का क्षेत्र हरियाणा अर्बन एरिया रेगूलेशन एक्ट 1975 की धाराओ से बाहर हो गया तथा उस पर मात्र हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 लागू होता है। फिर भी निदेशालय से इस संदर्भ में मार्ग दर्शन मांगा गया तथा निदेशालय द्वारा मार्ग दर्शन दिया गया है कि:-The letter of regularization of un-authorized colonies issued on 17.12.2004 it has specifically been mentioned that the development charges in these colonies shall be Rs. 80 per sq.yds. and Rs. 120 per sq.yds. for the Municipal Committees and Municipal Councils respectively. सर्वसम्मति से 120 रू0 प्रतिगज लेकर नक्शे पारित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। **(सम्बन्धित भवन निरीक्षक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**

3.	**वर्ष 2013 में सरकार द्वारा घोषित 34 कालोनियों में मूल भूत सुविधाएं व बेबाकी प्रमाण पत्र देने बारे।** वर्ष 2013 में सरकार द्वारा "Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure deficient Municipal Areas (Special Provisions) Act, 2013" को नगर निगम रोहतक की 34 कालोनियों में मूल भूत सुविधाएं व बेबाकी प्रमाण पत्र देने हेतु घोषणा की थी, जिसकी अवधि एक वर्ष थी। दिनांक 26.3.2015 की बैठक में प्रस्ताव न0. 7 में तत्कालीन अधिकारियों द्वारा भवन पारित न करने के कारण इसे सरकार के पास मार्गदर्शन हेतु भेजा गया। सरकार द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2228 दिनांक 5.6.2015 में स्पष्ट किया है कि नगर निगम मूल भूत सुविधाएं देना व बेबाकी प्रमाण पत्र देना, जारी रखे। अतः सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है।	फरवरी व मार्च 2015 में तत्कालीन अधिकारियो द्वारा वर्ष 2013 में नियमित की गई कालोनियो के भवन प्लान पारित नही किए गए जिस कारण इस कार्यालय को निदेशालय से मार्ग दर्शन मांगना पड़ा तथा निदेशालय द्वारा सूचित किया गया है कि:-There is no proposal under consideration with the Government/Directorate regarding revalidation of above said Act. However, the Municipal Corporation may continue providing civic amenities and Civic Amenities and Infrastructure Defiient Municiapl Areas under this Act. अतः मार्ग दर्शन के अनुसार भवन प्लान पारित करने की सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त सदन द्वारा उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम को विघुत सप्लाई, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सीवरेज व पानी की लाईन बिछाने का कार्य तथा नगर निगम को गली व नाली निर्माण की मूलभूत सुविधाएं अपने-2 विभाग से शीघ्र प्रांकलन बनाकर उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव पारित करते हुए निर्देश दिये कि इन कार्यो को अतिशीघ्र पूर्ण करवाया जाये। **(सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम, सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग व सम्बन्धित भवन निरीक्षक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
4.	**नगर निगम रोहतक में स्थित नए वाणिज्यिक क्षेत्र घोषित करने बारे।** इस क्षेत्र में नगर निगम की योजनाकार शाखा की टीम द्वारा सर्वे एजेन्सी से सर्वे करवाकर नए वाणिज्यिक क्षेत्रों के प्लान तैयार करवाया जाना उचित है। अतः सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है।	निदेशक शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पत्र क्रमांक 2793 दिनांक 09.07.2014 द्वारा:- "It is intimated that the order dated 31.07.2009 have been withdrawn by the Government, because there is no provision in the Haryana Municipal Corporation Act 1994 regarding declaration of Commerical streets. No further action regarding declaration is to be taken at any level. It is requested to ensure compliance of directions/order to this office". परन्तु हरियाणा मुन्सिपल बिन्डिंग बाई लाज 1982 के उप नियम 13 (1) के अनुसार Type and character of building including ancillary buildings that may be erected or re-erected on a site and the purpose for which these may be used shall not be other than that shown in the Area Plan or the approved layout plan and where the site does not for a part of such an Area Plan or layout, the use shall be in conformity with the use of the surrounding area and the decision of the committee shall be filnal in this respect. अतः नगर निगम कोई भी वाणिजिक सड़क घोषित नही कर सकता। सदन द्वारा हरियाणा म्यूनिसिपल बिल्डिग बाईलाज 1982 की 13 (1) के अनुसार सभी वाणिज्यिक भवनो का सर्वे करवाने तथा उसे आगामी बैठक मे नियानुसार कार्रवाई हेतू आगामी बैठक मे प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। **(सम्बन्धित भवन निरीक्षक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
5.	**गांव पहरावर व गांव कन्हेली में गउशाला का निर्माण करने बारे।** नगर निगम रोहतक क्षेत्र में आवारा पशुओं को पकड़कर तीन	नगर निगम, रोहतक के क्षेत्र में सड़को पर काफी पशु सड़को पर घूमते रहते थे। जिन्हे वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शकरी स्थानीय निकाय विभाग के पत्र क्रमांक

गऊशालाओं को पशु दिए जा रहे थे। इन गऊशालाओं को आपके कार्यालय से स्वीकृति लेने उपरान्त 50 रू0 प्रति दिन के हिसाब से इन तीनों गऊशालाओं को अब तक 3.83 करोड़ रू0 की अदायगी भी की जा चुकी है। नगर निगम रोहतक की आर्थिक स्थिति अब इतनी सुदृढ़ नही हैं कि इस प्रकार की अदायगी कर सकें। इसमें कई प्रकार की अनियमिताएं भी देखने को मिली है। जिन पशुओं को गऊशाला में छोड़ा जाता है, उनमें से कुछ सांड आदि पुनः शहर में छोड दिए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से पकड़े गए पशु जो गऊशाला में जाते है, उन्हे भी शहर की तरफ छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार नगर निगम को आर्थिक नुकसान होता है। इन गऊशालाओं द्वारा अब भी लगभग डेढ़ करोड़ रू0 नगर निगम से धनराशि मांग रहे है। ऐसे हालत में नगर निगम के पास गांव पहरावर में 10 एकड़ व गांव कन्हेली में 5 एकड़ भूमि है। इस भूमि पर चारदीवारी व शैड बनाकर नगर निगम गऊशाला का निर्माण कर सकता है। गऊशाला के निर्माण के पश्चात इस गऊशाला को चलाने के लिए सभी NGO's व गऊशालाओं से निविदा आमन्त्रित की जाएगी, जिसमें यह शर्त होगी की इस गऊशाला को चलाने वाली संस्था को नगर निगम क्षेत्र के सभी आवारा पशुओं को रखना होगा तथा नगर निगम एक मुश्त राशि वार्षिक तौर पर उस संस्था को दी जाएगी। संस्था गऊशाला के गोबर, मृत पशु आदि का निपटान भी करेगी। अतः सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है।

4/22/2012-3क1 के अनुसार आवार पशुओ के चारे व रख रखाव के लिए 50/- प्रति पशु प्रतिदिन के हिसाब से गौशालाओ में निम्नलिखित पशु छोड़े गए:-

क्र0 सं0	दिनांक से	गौशाला का नाम	छोड़े गए पशु	अदायगी
1.	25.02.2011	गौशाला खिडवाली	803	11513790/-
2.	30.09.2011	गौशाला पिंजरा पौल	1092	8618040/-
3.	26.04.2011	गौशाला पहरावर	1843	15662130/-
		कुल योग-	**3738**	**38303570/-**

इस कार्य के लिए शैड व चार दीवारी की निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है। इसके लिए नगर निगम की प्रस्तावना है कि पहरावर या कन्हैली में जो गौशालाए नगर निगम की जगह पर बनाई जाए उनमें ढांचा गत निर्माण नगर निगम, एनजीओ या किसी भी उधोगिक युनिट द्वारा करवाया जा सकता है। भूमि की मलकियत नगर निगम के नाम रहेगी तथा उसे रोहतक या रोहतक के आस-पास के क्षेत्र में गौ-सेवा या लावारिय पशु सेवा में लगी एनजीओ को नगर निगम सदन द्वारा गठित एक कमेटी के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर चयन करने उपरांत लीज पर दिया जाए। यह एनजीओ नगर निगम की गौशालाओ में नगर निगम के क्षेत्र के सभी आवार पशुओ को रखना सुनिश्चित करेगी। इस गौशाला में दान में दिए गए पशु भी रखने का अधिकार होगा। एनजीओ गौशाला के संचालन के लिए अपने कर्मचारी रखेगर तथा गौशाला में उत्पन्स दूध, गोबर, गौमूत्र व मृतक पुशाओ पर अधिकार होगा। एनजीओ द्वारा ही गौशाला में डॉक्टर का प्रबंध स्वयं करना होगा। पशुओ की सेवा, चारा, दवाईया, पानी, उनकी सुरक्षा, उनका रिकार्ड व उनका ईलाज करवाना एनजीओ की जिम्मेवारी होगी। नगर निगम, रोहतक अपने फण्ड से 5 करोड़ रू0 का एक पशु सुरक्षा फण्ड के नाम से एक एफडी करेगां एफडी से प्राप्त ब्याज राशी ही प्रति वर्ष चार किस्तो में गौशाला संचालन के लिए ऐनजीओ को दी जाएगी। इसके अतिरिक्त कोई धन राशी नगर निगम नही देगा। नगर निगम की राशी का रिकार्ड रखना होगा तथा ओडिट भी करवाना होगा। संस्था अपने स्तर पर गौशाला संचालन के लिए दान प्राप्त कर सकती है, सरकार से अनुदान ले सकती है तथा दान व अनुदान राशी पर नगर निगम का कोई अधिकार नही होगा। गौशाला में रखे जाने वाले सभी पशुओ की टैगिंग होगी। नगर निगम गौशाला संचालन में दिन प्रतिदिन की गतिविधियो में सस्था के कार्य में कोई हस्तक्षेप नही करेगा। संस्था द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता की जाती है तथा पशुओ का रिकार्ड नही रखता या उनकी सेवा नही की जाती तो नगर निगम संस्था को एक माह का नोटिस देकर हटा सकता है तथा उसके साथ कानूनी कार्यवाही भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त किसी दूसरी संस्था को उपरोक्त शर्तो पर लीज पर दे सकता हैं। संस्था रजिस्ट्र होनी चाहिए तथा उसे लावारिश पशु सेवा का अनुभव होना चाहिए। नगर निगम,

		रोहतक मात्र एक बार गौशाला का ढांचागत बुनियादी सुविधाए उपल्बध करवाएगा उसके पश्चात उनका रखरखाव, उनका बिजली का बिल, पानी का बिल व कोई भी अन्य खर्चे संस्था द्वारा वहन किए जाएगे। सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए शीघ्र आगामी कार्रवाई के निर्देश दिये गये। **(सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता व नगर अभियंता द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
6.	**अप्पूघर तालाब का सौन्दर्यकरण व वाणिज्यिक काम्पलैक्स का निर्माण करने बारे।** शहर में पुराने एटीसी आफिस के सामने अप्पूघर तालाब का सौन्दर्यकरण व वाणिज्यिक काम्पलैक्स का निर्माण किया जाना है। इसका प्रांकलन 685 लाख है। नगर निगम इस स्थल के नक्शें का प्रदर्शन कर इन स्थलों को खुली बोली द्वारा आबंटित करना चाहती है। स्थल पर जोहड़ के प्रावधान को रखते हुए ऊपर फूड कोर्ट बनाया जाना है तथा बोली उपरान्त आबंटियों द्वारा जो राशि जमा करवाई जाए, उसी राशि से निर्माण कार्य करवाया जाए। अतः सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है।	सहायक नगर योजानाकार ने सदन को सूचित किया कि अप्पूघर तालाब के सौन्दर्यकरण **व वाणिज्यिक काम्पलैक्स के निर्माण की निदेशक शहरी स्थानीय निकाय विभाग से 685 लाख की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इसकी तकनीकि स्वीकृति हेतू प्रांकलन निदेशक शहरी स्थानीय विभाग को भेजा जाना है। इसकी ड्राईंग भी सदन के समक्ष प्रस्तुत की गई। सदन द्वारा सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया गया। इसके अतिरिक्त सहायक नगर योजनाकार द्वारा सदन को यह भी सूचित किया कि** रोहतक शहर में स्थित सरकारी भूमि पुरानी ज्यूडिशियल काम्पलैक्स, मैना काम्पलैक्स व उसके साथ पुराने कैम्प आफिस जो कि खाली पड़ी है, में नगर निगम रोहतक का नया कार्यालय व वाणिज्यिक काम्पलैक्स का निर्माण किया जाना चाहिए। जिस बारे मुख्यमंत्री के विशेष प्रधान सचिव श्री आर.के. खुल्लर की अध्यक्षता में दिनांक 07.07.2015 को हुई बैठक में भी सूचित किया गया था। इसके अतिरिक्त दुर्गा मन्दिर के सामने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की भूमि के सन्दर्भ में मुख्य प्रशासक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 5606 दिनांक 12.06.2015 द्वारा सूचित किया है कि "Whether Municipal Coproration can develop the site for multi level parking, in case decision is taken at higher level for cancellation of bid of Commercial Complex/Shopping Mall at the old Police Station, Rohtak accordingly" सदन द्वारा सर्वसम्मति से इन पर कार्रवाई करने की स्वीकृति प्रदान की गई। **(सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता व भू अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
7.	**गांव बोहर में स्थित नगर निगम की जगह पर आधुनिक वाणिज्यिक काम्पलैक्स का निर्माण करने बारे।** नगर निगम रोहतक में स्थित सभी गांव में नगर निगम की जमीन जो कि खाली अवस्था में है, में से गांव बोहर में स्थित नगर निगम की जगह पर आधुनिक वाणिज्यिक काम्पलैक्स (सुपर मार्किट) का निर्माण किया जाना है। ऐसे में इस स्थल पर मार्किट की बोली का एडवरटाईजमैंट फ्लैक्स लगवाया जाना तथा बोली उपरान्त आबंटियों द्वारा जो राशि जमा करवाई जाए, उसी राशि से निर्माण कार्य करवाया जाए। अतः सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है।	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। **(सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता , नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**

8.	**मौजा रोहतक लालपुरा हदबस्त न0 74 की 132 एकड़ भूमि को पंजाब भूमि सरंक्षण अधिनियम 1900 की धारा 4 व 5 में पुनः बन्द करने बारे।** वन मण्डल अधिकारी, रोहतक ने सन्दर्भित पत्र द्वारा सूचित किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने CWP No.202/95 में अपने आदेश दिनांक 12-12-1996 द्वारा इस प्रकार की भूमियों को वन क्षेत्र माना था और आगे आदेश दिया था कि चाहे इस प्रकार की भूमियों के बन्द किए जाने की अवधि समाप्त हो गई हो इन्हें हमेशा वन क्षेत्र ही माना जाएगा तथा इन पर वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के सभी प्रावधान लागू होगें। अतः केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बगैर वनैत्र (Non Forest) कार्यो के लिए प्रयोग नही किया जा सकेगा। इस स्थिति को देखते हुए मौजा रोहतक लालपुरा की 132 एकड़ भूमि को वन क्षेत्र के रुप में सुरक्षित रखने के इलावा और कोई विकल्प बचता प्रतीत नही होता है। इस लिए वन क्षेत्र के रुप में सुरक्षित रखने के लिए इसकी कानूनी स्थिति को मजबूत करना जरुरी है। इस स्थिति के मध्यनजर यह प्रस्तावित किया जा रहा है कि इसे पंजाब भू-परिरक्षण अधिनियम 1900 की धारा 4 व 5 में प्रतिबन्धित कर दिया जाए। अतः नगर निगम, रोहतक, लालपुरा की खसरा नं0 1276, 1277, 1278, 1280 रकबा 132 एकड़ भूमि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले दिनांक 12-12-1996 के तहत आगे प्रतिबन्धित करने की सहमति वनमण्डल अधिकारी, रोहतक को दी जाए या नहीं ? अतः सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है।	सहायक नगर योजनाकार नगर निगम,रोहतक ने सदन को सूचित किया कि:- 1. मौजा रोहतक (लालपुरा) जंगल 132 एकड़ भूमि को पंजाब भू-संरक्षण अधिनियम 1900 की धारा 4 व 5 में Notification No. S.O. 16/P.A. 2/1900/S.4/2000 दिनांक 21.02.2000 द्वारा 15 वर्षो के लिए बन्द कर दिया गया था। 2. परन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायलय ने CWP No- 202/95 में अपने आदेश दिनांक 12.12.1996 द्वारा इस प्रकार की भूमियो वन क्षेत्र माना था तथा आगे ओदश दिया था कि चाहे इस प्रकार की भूमियो के बन्द किये जाने की अवधि समाप्त हो गई हो इन्हे हमेशा वन क्षेत्र की माना जायेगा तथा इन पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के सभी प्रावधान लागू होगे। अतः किसी भी भूमि को केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बगैर बनैत्र कार्यो के लिए ही प्रयोग किया जा सकेगा। 3. उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकलता है कि मौजा रोहतक (लालपुरा) की 132 एकड़ भूमि को वन उगाने तथा वन्य प्राणियो के प्राकृतिक अवस्था में रहने के लिए ही प्रयोग किया जा सकेगा। इसके ईलावा अन्य कार्यो को के लिए प्रयोग दुष्कर है। 4. इस स्थिति को देखते हुए इस भूमि को वन क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखने के ईलावा ओर कोई विकल्प बचता प्रतीत नही होता। 5. इसलिए इस वन क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखने के लिए इसकी कानूनी स्थिति को मजबूत करना जरूरी है। उपरोक्त को देखते हुए यह प्रस्तावित किया जा रहा है कि इसे भू-संरक्षण अधिनियम 1900 की धारा 4 व 5 में प्रतिबन्धित कर दिया जायें। ऐसा करने से इस पर कई प्रकार के प्रतिबंध लग जायेगें। जैसा कि वृक्षो को काटना, आग लगाना, मिट्टी खोदना/उठाना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करना, लकड़ी का कोयला बनाना, खनन करना इत्यादि। परन्तु वन क्षेत्र की सुरक्षा के लिए वन क्षेत्र की बांउडरी पर दिवार बनाना प्रतिबन्धित नही होगा। वन क्षेत्र के अन्दर भूमि सरंक्षण तथा जल संरक्षण व संग्रहण के कार्य किये जा सकेगे। सदन ने आगामी 15 वर्ष के लिए इसे पुनः वनक्षेत्र घोषित करने व वन विभाग के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त सिटी फोरेस्ट की भी सदन द्वारा सहमति दी गई। **(वन मण्डल अधिकारी व भू अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
9	**रोहतक शहर के सौन्दर्यकरण व विकास बारे।** i. सभी Round Abouts का सौन्दर्यकरण। ii. महाबीर पार्क में फव्वारा व रोज गार्डन बनाना। iii. मानसरोवर पार्क का सौन्दर्यकरण।	सदन में इस संदर्भ में गहन विचार विमर्श हुआ तथा मास्टर प्लान व बिन्दू नं0 i से v व बिन्दू नं0 vii, viii की सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुए भारत व राज्य सरकार से इसके प्रोजेक्ट तैयार कर अनुदान राशी प्राप्त करने हेतू आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। **(सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता व नगर अभियंता, नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**

iv. पार्क के खाली पड़े स्थल पर Theme based पार्क विकसित करना।

v. पार्को में चारदीवारी, फुटपाथ की मरम्मत करवाना, पीने के पानी की व्यवस्था व उनका सौन्दर्यकरण करना।

vi. घण्टाघर का निर्माण करवाना।

vii. नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से पुराने बस स्टैंड व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की जगह में से वाणिज्यिक काम्पलैक्स के लिए जगह लेना।

viii. नगर निगम क्षेत्र के विकास के लिए मास्टर प्लान की स्वीकृति करें।

SUMMARY OF COST

S. No.	Item	Total Cost (Rs. In lacs)
1	Water Supply	7808.00
2	Sewerage	6064.33
3	Storm Water Drainage	6145.00
4	Solid Waste Management	10396.00
5	Industrial Waste Management	8082.00
6	Roads	30798.60
7	Public Parks and Tree Plantation	2975.00
8	Parking lots	5965.00
9	Water Body	7175.00
10	Village under Rohtak Municipal Corporation	11187.00
11	Traffic Light/Blinkers	231.00
12	Street Lighting	565.00
13	Miscellaneous/others	12614.00

Sr. No.	Item	Cost (Rs. In lacs)
A	Public library	200.00
B	Taxi Stand	85.00

		C	Auditorium	1000.00	
		D	Community Hall	710.00	
		E	Transport Nagar	-----	
		F	Auto Market	-----	
		G	Fire Brigade	475.00	
		H	Old DJE Home	70.00	
		I	Stadium	2350.00	
		J	Cultural Complex	5000.00	
		K	Pedestrian under pass/Foot over bridge	2000.00	
		L	Caltle Pound	250.00	
		M	Community Toilets	474.00	
		Total		12614.00	
	Grand Total				110005.90
10	**नगर निगम, रोहतक के कार्यालय का निर्माण करने बारे।** नगर निगम के कार्यालय के लिए सैक्टर 31 में 11 एकड जमीन चिन्हित की गई थी। यह जमीन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा स्थानान्तरित की जानी थी। उक्त जमीन को जल्द से जल्द स्थानान्तरित करवाकर नगर निगम कार्यालय का निर्माण करवाया जाए।				सैक्टर 31 में हुड्डा विभाग द्वारा नगर निगम रोहतक को 11 एकड़ जगह दी जानी थी, जिसके लिए प्रशासक हुड्डा पत्र क्रमांक MCR/LO/2015/134 दिनांक 05.02.2015 का लिखा गया था लेकिन इस बारे में आज तक कोई जगह जवाब प्राप्त नही करवाई गई है। सैक्टर 31 में नगर निगम, रोहतक को उपलब्ध करवाई गई 11 एकड़ जगह के लिए प्रथम 25 प्रतिशत राशि अर्थात् 16.91 करोड़ रू0 जमा करवाने के लिए लिखा गया है। जैसा कि आपको विदित है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा सरकूलर रोड़ पुरानी आई टी आई (कुल क्षेत्रफल 18 एकड़) व नजदीक पुरानी सब्जी मण्डी, पुरानी सब्जी मण्डी, पुराना राजकीय विधालय (कुल क्षेत्रफल 10 एकड़) पर वाणिज्यिक काम्पलैक्स विकसित किए जा रहे हैं। सरकार की हिदायतानुसार आपके विभाग द्वारा अभी तक इन काम्पलैक्स का विकास शुल्क जमा करवाए कार्य प्रारम्भ कर दिया। इसके लिए नगर निगम द्वारा आपको भी पत्र लिखा जा चुका है। अतः इसके अतिरिक्त पुराना बस स्टैंड क्षेत्र का विकास शुल्क भी बकाया है। अतः आप

		विकास शुल्क की राशी सैक्टर 31 में उपल्बध करवाई गई 11 एकड़ जमीन की राशी में समायोजित कर जमीन कर जमीन का आंबटन व स्थानान्तरण नगर निगम, रोहतक के पक्ष में करने की सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। **(सहायक नगर योजनाकार व भू अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
11	**सरकारी बिल्डिंगों से विकास शुल्क लेने बारे।** नगर निगम क्षेत्र में जिन भवनो के निर्माण हो रहे है जैसे महर्षि दयानन्द विश्वविघालय, पी0जी0आई0, सैनी संस्था, वैश्य संस्था, पी0डब्लू0डी0 आदि उन भवनो द्वारा विकास शुल्क नही जमा करवा या जा रहा है। इस प्रकार के भवनों से विकास शुल्क वसूलने बारे सरकार को लिखा जाये।	

Sr. No.	Institutional/ Society Name	land area in Acre (Appx.)	Development charge in Crore
1	MDU, Rohtak	702	40.77
2	PGIMS	385	22.36
3	Gaur Brahaman Institution	4	0.23
4	Vaish Education Society	50	2.90
5	Jat Education Society	50	2.90
6	Govt school building situated at old bus stand area	4.5	0.26
7	PWD B&R under construction building (Nirman Bhawan)	1.5	0.08
8	Saini, Education Society	5	0.29
9	Irrigation Store yard, Near IG office	2.5	0.14

10	Police Line, Rohtak	5	0.29
11	Forest Office, Jhang Colony	0.1	0.006
12	Old ITI Comm. Complex (HUDA)	18	18.25
13	Old Subji Mandi Complex (HUDA)	10	10.13
Total			**98.66**

Ninety eight Crore Sixty six Lacs Appx.

सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए सरकार को व सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को पत्र लिखने के निर्देश दिये गये।

(सहायक नगर योजनाकार द्वारा कार्रवाई की जानी है।)

12	**46 अनाधिकृत कालोनियो को नियमित करने बारे।** नगर निगम द्वारा 46 अनाधिकृत कालोनियों का सर्वे किया हुआ है, उन्हे नियमित करवाने हेतू सरकार को लिखा जाये।	46 अनाधिकृत कालोनीयो का नियमित करने के लिए प्रस्तावना सरकार को आयुक्त रोहतक मण्डल के पत्र क्रमांक LFA/3174 dated 13-8-2014 के द्वारा भेजा जा चुका है तथा जिसका समरण पत्र MCR/ATP/673 dated 5-6-2015 के द्वारा भेजा जा चुका है। सहायक नगर योजनाकार द्वारा सूचित किया गया कि सरकार के दिशा निर्देशानुसार 31.03.2015 को आधार मानकर HARSEC हिसार द्वारा अनाधिकृत कालोनियो के पुनः सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया गया है तथा सर्वेक्षण के पश्चात् सभी सम्बन्धि विभागों को इनके प्लान भेजे जायेगे। सदन द्वारा सरकार के दिशा निर्देशानुसार सभी अनाधिकृत कलोनियों का सर्वेक्षण पूर्ण कर सभी कालोनियों का विवरण व रिपोर्ट सरकार को भेजने की सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। **(सहायक नगर योजनाकार द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**

13	**शहर में गरीबी रेखा से नीचे के लोगो को फ्लैट बनाकर देने बारे।** अटल योजना के अंर्तगत शहर के गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को फ्लैट बनाकर देने हेतू सरकार को लिखा जाये।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शहर में गरीबी रेखा से नीचे के लोगो को फ्लैट बनाकर देने बारे सरकार से पत्राचार किया जाये। इसके अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को भारत सरकार व राज्य सरकार की योजनाओं के तहत फलैटों को आसान किस्तो पर आमजन को उपलब्ध करवाने की नियमानुसार कार्रवाई की जाये। **(सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता व भू-अधिकारी, नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
14	वार्ड नं0 04 में नगर निगम की जमीन की चार दीवारी का कार्य चल रहा है। इस जमीन पर पार्क का अनुमान तैयार करवाकर संत कबीर के नाम पर पार्क का निर्माण करवाया जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता व भू-अधिकारी, नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
15	वार्ड नं0 13 में कम्यूनिटी सैन्टर का निर्माण करवाया जाये।	इस विषय में सम्बंधित पार्षद द्वारा प्रस्तावित नगर निगम की राहड़ जोहड़ के नजदीक 3300 वर्ग गज जमीन पर पार्क निर्माण करवाने हेतु वर्क आर्डर जारी करके एजेंसी को मौका दिखा दिया गया है। यह कार्य जल्द शुरू करवा दिया जाएगा। इसी जमीन पर पार्षद द्वारा कम्युनिटी सेंटर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। यह जगह जोहड़ की होने के कारण कम्युनिटी सेंटरबनाया जाना उचित नहीं है। इस कार्य के लिए वार्ड पार्षद द्वारा नगर निगम की अन्य जमीन का प्रस्ताव लिया जाना उचित होगा। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सम्बधित पार्षद से नगर निगम अन्य जमीन का प्रस्ताव लेकर उसपर नियमानुसार कम्यूनिटी सैन्टर बनवाया जाये। **(सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता व भू-अधिकारी, नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
16	वार्ड नं0 20 में राजीव गांधी आवास योजना का सर्वे पूरा करके पात्रों को लाभ दिया जाये।	गाँव सुनारिया में 237 पात्रों का चयन करते हुए राजीव आवास योजना के तहत मकान बनाने का कार्य प्रगति पर है। शेष बचे लाभार्थियों का चयन कार्यकारी अभियंता की अध्यक्षता में किया जाना है। कार्यकारी अभियंता का पद रिक्त होने के कारण यह कार्य लंबित है। इस बारे श्री बलराज सिंगला, नगर अभियंता को 01 सितम्बर 2015 तक बलियाणा, सुनारिया तथा कन्हेली के सभी लाभार्थियो को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिये। **(सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता , नगर अभियंता , नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
17	श्री नगर कालोनी, अजीत कालोनी, अमृत कालोनी, हरिसिंह कालोनी कच्ची गलियों को पक्की करवाया जाये।	इस बारे सम्बन्धित वार्ड पार्षद द्वारा दिये गये कार्यो की निविदा आमंत्रित की जा चुकी है तथा शेष कार्य यदि मौके पर आवश्यक है तो नगर अभियंता को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। **(सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता , नगर अभियंता , नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
18	सुनारियां कला में शमशान भूमि की चार दिवारी करवाई जाये।	प्रस्तावित शमशान भूमि का वर्क आर्डर 9.97 लाख रुपये का जारी किया जा चुका है लेकिन स्थल विवादित है। विवाद निपटान उपरांत आगामी कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। **(सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता , नगर अभियंता , नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**

19	वार्ड नं0 20 से पानी व सीवर की समस्या जा जल्द से जल्द समाधान किया जाये।	सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग को समस्या के समाधान करने के निर्देश दिये गये।
20	नगर निगम के सभी वार्डो में जितने भी कार्यो के टैण्डर/अनुमान तैयार हो चुके है उन्हे जल्द से जल्द करवाया जाये।	नगर निगम द्वारा आवश्यक कार्यो की निविदाये आमंत्रित की जा चुकी है। आयुक्त महोदय ने निर्देश दिये कि वार्ड अनुसार सभी पार्षदों को विवरण उपलब्ध करवाते हुए वेबसाईट पर भी उसे अपलोड किया जाये। **(सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता , नगर अभियंता , नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
21	नगर निगम की सामान्य बैठक में दिनांक 27.01.2015 को सभी वार्डो में पेड व ट्री गार्ड लगवाने बारे प्रस्ताव पास किया गया था। परन्तु वार्डो में पेड व ट्री गार्ड नही लगवाये गये अतः जल्द से जल्द सभी वार्डो में ट्री गार्ड लगवाने की कार्रवाई अमल मे लाई जाये।	सभी पार्षदों को ट्री गार्ड उपलब्ध करवाए जा चुके है व पार्षदों द्वारा अतिरिक्त ट्री गार्ड की मांग की गई। आयुक्त, नगर निगम द्वारा 500 ट्री गार्ड बैंको व औधोगिक यूनिटो से सम्पर्क कर उपलब्ध करवाने का सम्बन्धित नगर अभियंता को निर्देश दिये गये। **(सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता , नगर अभियंता , नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
22	नगर निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था से आमजन संतुष्ट नही है इसका एक कारण सफाई कर्मचारियों की संख्या का कम होना भी है। शहर की सफाई व्यवस्था मे सुधार लाने हेतू तथा स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने हेतू नगर निगम के सभी वार्डो मे आवश्यकतानुसार सफाई कर्मचारियों की संख्या बढाई जाये।	आयुक्त नगर निगम रोहतक द्वारा सदन को सूचित किया गया कि दिनांक 07.07.2015 को विशेष प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की अध्यक्षता मे हुई बैठक में निर्णय लिया गया था कि :- निगमो द्वारा अपने-2 अधिकार क्षेत्र में 5 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में सफाई सम्बन्धी कार्य जिसमें ठोस कूडा-कर्कट का पृथकरण, संग्रहकरण तथा ढुलाई सम्मिलित हो, आउटसोर्स करने बारे कार्रवाई की जाये। इसका टैण्डर डक्यूमेंट बनाने के लिए आयुक्त, नगर निगम गुडगांव को निर्देश दिये गये है। सफाई कर्मचारियों के पद रिक्त होने के कारण पदों की पूर्ति के अनुरोध पर निर्णय लिया गया कि प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम 3 या 4 वार्डो में किसी एक वार्ड मे एक समिति जिसमें सम्बन्धित वार्ड का पार्षद भी सम्मिलित हो, बनाकर सफाई सेवा का कन्ट्रेक्ट दिया जाये जिसका टैण्डर डाक्यूमैन्ट, मुख्य अभियंता निदेशालय द्वारा तैयार किया जा रहा है। सदन द्वारा इसकी स्वीकृति देते हुए इस पर कार्रवाई करने की सहमति दी। **(कार्यकारी अधिकारी, नगर अभियंता व सफाई निरीक्षको, नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
23	हिसार रोड पुल से आने वाले बरसाती पानी के पाईप को सीवर लाईन से जुडवाया जाये।	सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग को समस्या के समाधान करने के निर्देश दिये गये।
24	जींद चौक स्थित बढसी नगर में बिजली के खंभे लगवाने बारे।	सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम को समस्या के समाधान करने के निर्देश दिये गये।

25	नगर निगम मे 250 स्ट्रीट लाईटे मंगवाई गई थी जो समाप्त हो चुकी है, परन्तु वार्डो में स्ट्रीट लाईटे पूरी नही लगी है तथा कई जगह खराब भी पडी है। अतः और नई स्ट्रीट लाईटे मंगवाई जाये तथा आवश्यकतानुसार सभी वार्डो में लगवाया जाये।	आवश्यकता अनुसार वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगवाई जा रही हैं और स्ट्रीट लाइट खराब होने पर तुरंत प्रभाव से ठीक करवा दी जाती हैं। नगर अभियंता(बिजली) को निर्देश दिये गये कि नियमानुसार पार्षदों से Requirement लेकर स्ट्रीट लाईटों की मुरम्मत व रिपेयर का कार्य करवाएं तथा यह भी निर्देश दिये गये कि भविष्य में निगम क्षेत्र मे जो भी नई स्ट्रीट लाईट लगवाई जाये तो सम्बन्धित पार्षद को भी अवगत करवाएं। **(सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता तथा नगर अभियंता नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
26	बाबा बालकनाथ मन्दिर जीन्द रोड रोहतक से लेकर गांव रैनक पुरा तक, कबीर कालोनी मे श्री महेन्द्रसिंह के मकान से लेकर जीन्द रोड जोहड तक, श्री संजय के मकान से लेकर मोरवाल के मकान तक तथा डा0 सतीश के मकान से लेकर रैनकपुरा को जाने वाली गली पक्की करवाई जाये इसके अतिरिक्त वार्ड नं0 3 में चौ0 हरदीप सिंह के मकान के पास ब्रेकर बनवाया जाये।	सम्बंधित पार्षद की सहमति व वरियता अनुसार कार्यों के अनुमान तैयार करवाकर निविदाये आमंत्रित की जा चुकी है।
27	छोटूराम नगर में सैनी संस्था की खाली पडी जमीन को नगर निगम के आधीन लेकर उस पर पार्क का निर्माण किया जाये।	सैनी संस्था की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव नगर निगम को प्राप्त नही हुआ है। यदि सैनी संस्था इस भूमि को नगर निगम के नाम स्थानान्तरित करती है तो नगर निगम द्वारा इस पर पार्क बनवाने की कार्यवाही कर सकता है। पार्षद महोदय अपने स्तर पर इस भूमि को नगर निगम के नाम करवाने का प्रयास करे। **(सम्बन्धित वार्ड पार्षद तथा भू-अधिकारी, नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
28	वार्ड नं0 11 में सम्बन्धित पार्षद से Requirement लेकर सडको का निर्माण किया जाये।	सम्बंधित पार्षद की सहमति व वरियता अनुसार कार्यों के अनुमान तैयार करवाकर निविदाये आमंत्रित की जा चुकी है।
29	पटेल नगर मे शिवशक्ति बारात घर (सामूदायिक भवन) तथा डी0एल0एफ कालोनी चौक जर्जर अवस्था में है इसकी मुरम्मत करवाई जाये। इसके अतिरिक्त वार्ड नं0 11 में आने वाले सभी पार्को की मुरम्मत व सौन्दर्यकरण करवाया जाये।	पटेल नगर में शिव शक्ति बारात घर (सामुदायिक केंद्र): इस स्थान पर बारात घर बना हुआ है जिसमें मरम्मत कार्य करवाए जाने की आवश्यकता है। लेकिन वार्ड पार्षद द्वारा इस भवन को तोड़ते हुए पुनः निर्माण की मांग की गई है। इस बारे कार्यकारी अभियंता व नगर अभियंता द्वारा पुनः निरीक्षण कर उचित कार्रवाई की जाये। DLF चौक का मरम्मत कार्य प्रगति पर है। वार्ड न० 11 में गाँधी कैंप सब्जी मंडी स्थित पार्क की मरम्मत व सौदर्यकरण का कार्य अलॉट करके एजेंसी को दिखाया जा चुका है। कार्य शीघ्र आरम्भ कर दिया जाएगा। सम्बंधित पार्षद की सहमति व वरियता अनुसार कार्यों के अनुमान तैयार करवाकर निविदाये आमंत्रित की जा चुकी है। **(सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता तथा नगर अभियंता नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है।**

30	राजेंद्र कालोनी, जनता कालोनी तथा एक्सटेन्शन शेर विहार कालोनी में बिजली के खंभे लगवाये जाये।	सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम को समस्या के समाधान करने के निर्देश दिये गये।
31	गांव कुताना में 5-6 गलियां है जो काफी समय से कच्ची पडी है बरसात के समय में इन गलियों में पानी भर जाता है तथा आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पडता है अतः जनहित में गांव कुताना की गलियो का निर्माण करवाया जाये।	नियमित होने के पश्चात् इन क्षेत्रों में करवाया जाना संभव है।
32	शास्त्री, श्याम कालोनी के बीच स्थित (आर0ओ0बी0) के नीचे खाली जगह में दो कमरे बनवाए जाये वहां पर सबसैन्टर खुलवाया जाये जिससे गर्भवती महिलाओं व बच्चों का टीकाकरण हो सके।	सिविल सर्जन, रोहतक को नियमानुसार आगामी कार्रवाई करने हेतू पत्राचार करने के निर्देश दिये गये। **(भू अधिकारी नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
33	वार्ड 2 के गढी मोहल्ले में सामूदायिक भवन का पुनः निर्माण कार्य करवाया जाये।	इस बारे कार्यकारी अभियंता व नगर अभियंता द्वारा पुनः निरीक्षण कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। **(सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता तथा नगर अभियंता नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
34	गढी मोहल्ले में गंदे पानी की निकासी के लिए नाला बनवाया जाये व वार्ड में पहले से स्थित नालो पर कई जगह स्लैब टूटे हुए है वहां नये स्लेब लगवाए जाये।	गढी मोहल्ले में गंदे पानी की निकासी के लिए जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा सीवर लाइन कुछ महीने पहले डाली गई है तथा मौके पर type-2 की नालियाँ बनी हुई हैं। जहाँ पर स्लैब टूटे हुए हैं वहां 15 दिन के अन्दर स्लैब रखवा दिए जाएंगे। **(सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता तथा नगर अभियंता नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
35	शास्त्री नगर, श्याम कालोनी व करतार पुरा में स्थित गलियों का निर्माण कार्य करवाया जाये।	सम्बंधित पार्षद की सहमति व वरियता अनुसार कार्यो के अनुमान तैयार करवाकर निविदाये आमंत्रित की जा चुकी है।
36	वार्ड के अर्न्तगत आने वाले एरिया, पांडव नगर, कृष्णा कालोनी, नंद कालोनी कुआं मोहल्ला, कच्ची गढी, पक्की गढी, मरूंडे वाली गली, आई0डी0सी0 एरिया मे पीने के पानी की समस्या का समाधान किया जाये।	सम्बंधित पार्षद की सहमति व वरियता अनुसार कार्यो के अनुमान तैयार करवाकर निविदाये आमंत्रित की जा चुकी है। पीने के पानी की समस्या के समाधान के लिए सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये।
37	लाजपतराय मार्किट नगर सुधार मंडल की दुकानों की सीढियों के उपर की जगह व साथ लगते बरामदे को सीढियों के नीचे अलाट की गई जगह के मालिको को बेचने बारे।	नगर निगम के पास नगर सुधार मण्डल से अभी तक रिकार्ड स्थानान्तरित नही हुआ हैं, बिना रिकार्ड व भूमि के नगर निगम इस संबंध में कोई प्रस्तावना पारित नही कर सकती, रिकार्ड उपलब्ध होने के पश्चात ही इस बारे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। **(भू अधिकारी नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
38	शुगरमिल कालोनी में मकानों के साथ लगती निगम की भूमि सम्बन्धित मालिक जिसके साथ यह भूमि लगती है को बेचने बारे।	सरकार की नीति अनुसार मकान मालिक के साथ लगती हुई भूमि को कलेकटर दरो पर सरकार से अनुमति प्राप्त करने उपरान्त बेची जा सकती है। इस प्रकार की भूमि निगम के किसी प्रयोग में ना लाई जा सकती हो तथा सार्वजनिक गली का हिस्सा न हो। यदि सदन की

		सहमति हो तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने-2 प्रार्थना पत्र, मानचित्र व सहमति निगम में जमा करवानी होगी। तदोउपरांत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। इस की मलकियत अभी तक नगर निगम के नाम स्थानंतरण नही हुई है। इस संदर्भ में भू अधिकारी को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। **(भू अधिकारी नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
39	नगर निगम कार्यालय में कार्य कर रहे कर्मचारियों को जीवनबीमा की सुविधा दी जाती है उसी तर्ज पर सफाईकर्मचारियों को भी जीवनबीमा(ग्रुप ईन्शयोरेन्स) की सुविधा दी जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए वरिष्ठ लेखा अधिकारी को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिये गये।
40	नगर निगम द्वारा पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग को पार्को के रख-रखाव हेतू लगभग तीन करोड रूपये की राशी दी गई थी। पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग द्वारा करवाये गये कार्य तथा खर्चे का पूर्ण ब्यौरा प्रगति रिपोर्ट सहित सदन को उपलब्ध करवाया जाये।	नगर अभियंता, नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिये गये कि 15 दिन के अन्दर-2 पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग द्वारा करवाये गये कार्य तथा खर्चे का पूर्ण ब्यौरा प्रगति रिपोर्ट सहित उपलब्ध करवाये। पार्षदगण द्वारा पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग द्वारा रख रखाव के कार्यपर असतोष व्यक्त किया तथा आगमी बैठक मे खर्चे का विवरण व रख-रखाव के कार्य का विवरण तथा निगम द्वारा इस संदर्भ में की गई कार्रवाई के विवरण को सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता व नगर अभियंता को निर्देश दिये। इसके अतिरिक्त सदन में निर्णय लिया गया कि नगर निगम क्षेत्र मे स्थित सभी पार्को में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने व उनकी मुरम्मत आदि करवाने के सम्बन्धित नगर अभियंता द्वारा पार्षद को सूचित करते हुए प्रांकलन तैयार करें ताकि उनपर कार्रवाई की जा सके। वार्ड नं0 15 के पार्षद श्री अजय जैन व वार्ड नं0 19 के पार्षद श्री अनिल द्वारा सदन को सूचित किया कि नगर निगम के क्षेत्र में (हुडा के सैक्टरो को छोडकर) हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा जिन पार्को का रख- रखाव किया जा रहा है वह संतोषजनक नही है तथा उन पार्को में मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नही है। ऐसे सभी पार्को को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से नगर निगम मे लिया जाये। सदन में निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता व नगर अभियंता इस संदर्भ में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से पत्राचार करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें व आगामी बैठक में सदन को सूचित करे। **(सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता तथा नगर अभियंता नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
41	शहीद भगत सिंह मल्टी स्टोरी पार्किंग-कम-कमर्शियल काम्पलैक्स, पुरानी सब्जी मंडी रोहतक पर कम्यूनिटी सैन्टर बनाने के निर्णय पर किला रोड के व्यापारियो, दिल्ली गेट के व्यापारियो तथा बडा बाजार के व्यापारियों से सुझाव प्राप्त हुआ है। सदन के विचारार्थ।	इस सन्दर्भ में इस कार्यालय से पत्र क्रमांक MCR/CMC/2015/3954 दिनांक 03-07-2015 द्वारा DULB, Panchkula से आवश्यक स्वीकृति हेतु लिखा गया है। सदन द्वारा शहीद भगत सिंह मल्टी स्टोरी पार्किंग-कम-कमर्शियल काम्पलैक्स में एक बेसमेन्ट, भूतल पर पार्किंग, प्रथम तल पर पार्किंग व फडी वालों के लिए स्थान, द्वितीय तल

		पर पार्किंग व उसके उपर वाणिज्यिक/कार्यालय प्रयोग हेतू निर्माण, लिफ्ट व रैम्प के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की। **(सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता तथा नगर अभियंता नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
42	सैक्टर 36-ए में दी हरियाणा को.प्रो.हाउस बिल्डिंग सोसायटी लि. अपनी भूमि जिसका खसरा न. 7348 (0-8) 7357 (3-17) व 7371 (3-10) कुल रकबा 7 बिघे 15 बिसवे= 4.843 एकड़ भूमि की टी.पी. स्कीम स्वीकृत करवाना चाहते है। इनके प्रार्थना पत्र पर केस की जांच पड़ताल की गई तथा L.A.O. Urban Estate, Rohtak, DT.P. Rohtak की रिर्पोट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तुत इन्तकाल व सजरा अनुसार यह भूमि अधिग्रहण से छूटी हुई है तथा विकास प्लान रोहतक 2021 के अनुसार Residential Zone में पडती है तथा मौके पर खाली है। हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट 1994 की धारा 267 (1) के अनुसार टी.पी. स्कीम पर विचार से पूर्व प्रस्तावित भूमि को Unbuilt Area घोषित करने का प्रावधान है। इस प्रावधान के अन्तर्गत इस केस को नियमानुसार पाया गया। अतः इस पर विचार उपरान्त यदि अनुमति हो तो सरकार को केस हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट 1994 की धारा 267 (1) के तहत Unbuilt Area धोषित करने के लिए सरकार के विचार के लिए अपनी सहमति सहित भेजने का प्रस्ताव सदन में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। सदन के विचारार्थ।	अस्वीकृतहै।
43	नगर निगम बनने से पूर्व गावों का ग्राम पंचायतो का पैसा उन्ही गावों के विकास कार्यों हेतू लगाया जाये।	सदन द्वारा पारित किया गया कि नगर निगम में जिन गावों की राशी जमा है, उसकी ब्याज राशी निगम फंड मे ली जाये। इस ब्याज राशी से विकास कार्य करवाये जायें। **(सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता तथा नगर अभियंता नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
44	वार्ड नं0 -8 गांव बलियाणा में सीवर,पानी व सडको का कार्य जल्द से जल्द प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाये।	सीवर व पानी का कार्य जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाना है। सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग को समस्या के समाधान करने के निर्देश दिये गये।
45	वार्ड नं0 8 में कुण्डाला तालाब वाली जगह पर पार्क का निर्माण किया जाये तथा उस पार्क का नाम दादा विशादा पार्क रखा जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता, भू अधिकारी तथा नगर अभियंता नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
46	वार्ड 11 में अमित मिगलानी पार्क के मुख्य द्वार पर गेट लगवाया जाये।	कार्य प्रगति पर है।

अतिरिक्त मुद्दे :-

क्र0 सं0	ऐजन्डा	निर्णय
47	शहर में हो रही दुर्घटनाओ को ध्यान में रखते हुए आवश्यक जगहो जैसे स्कूल, कालेज, अस्पतालो में आवश्यकतानुसार स्पीड ब्रेकर लगवाए जाये।	शहर में आवश्यकता अनुसार स्पीड ब्रेकर लगाने का कार्य प्रगति पर है। तथा स्कूल, कालेज, अस्पतालो के पास माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना करते हुए नियमानुसार व आवश्यकतानुसार स्पीड ब्रेकर पूर्व में गठित कमेटी की स्वीकृति उपरांत लगाने की सदन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। **(सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता तथा नगर अभियंता नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
48	पूरे रोहतक शहर में बंदरों की संख्या काफी बढ गयी है। जिससे जनसाधारण को बहुत परेशानी होती है। इसलिये बंदरों को पकड़ने का प्रबंध तुरंत प्रभाव से किया जाये।	दिनांक 13.04.2015 से आज तक गांव सुनारिया, गांव पहरावर, गांव बलियाणा, गांव बोहर, खेड़ी साध, वार्ड 6,9,10,11,12,13,16,17,18 व शहर के अन्य स्थानो से 245 बंदर पकड़वाकर कलेशर के जंगल में छोड़े गए है तथा भविष्य में भी बंदर पकड़वाए जायेगे। सफाई निरीक्षक को सम्बन्धित पार्षद को पकडे गये बंदरों का विवरण उपलब्ध करवाने तथा भविष्य में बंदर पकडने उपरांत सम्बन्धित पार्षद को सूचित करने के निर्देश दिये गये। **(सम्बन्धित सफाई निरीक्षको, नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
49	शहर के सभी चौराहों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाये जाये।	CCTV cameras रोहतक शहर में दोबारा से लगवाने के लिए निदेशक शहरी स्थानीय निकाय, पंचकुला द्वारा भेजी गई guideline अनुसार 156 लाख का प्रांकलन तैयार कर निदेशक शहरी स्थानीय निकाय, पंचकुला को भेजा जा चुका है। सदन द्वारा इस प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान करते हुए शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिये। **(सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता तथा नगर अभियंता नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
50	शहर की सभी मैन सड़क व बाजारों में अतिक्रमण हटवाया जाये।	**क)** दिनांक 22.06.2015 से 25.06.2015 द्वारा नगर निगम द्वारा सभी बाजारो एवं मुख्य मार्गो पर नगर निगम द्वारा मुनादी करवाई गई व दिनांक 26.06.2015 को सभी बाजारो एवं मुख्य मार्गो पर चेतावनी दी गई कि दुकानदार व रेहड़ी वाले सड़को पर अतिक्रमण न करे। अन्यथा नगर निगम उनका सामान जब्त कर लेगा। इस बारे सामाचार पत्रो में भी आम सूचना प्रकाशित करवाई गई। दिनांक 06.07.2015 को नगर निगम द्वारा अतिक्रमण अभियान भी चलाया गया। सदन द्वारा नियमित रूप से सडको से अतिक्रमण हटाने के प्रस्ताव को पारित करते हुए निर्देश दिये कि इस अभियान को नियमित रूप से चलाया जाये। **ख)** सदन में पार्षदगण द्वारा सूचित किया गया कि नगर निगम की ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में नगर निगम की भूमि पर काफी पुराने कब्जे है जिन्हे वर्तमान में छुडवाया जाना संभव नही है, क्यो कि ये कब्जे नगर परिषद व पंचायतो के समय से है । यदि इन कब्जेवाले स्थानों की सर्वेक्षण करवाकर उन्हे चिन्हित कर सरकार को इन कब्जाधारियों को बेचने के लिए केस भेजा जाये तो निगम का अनावश्यक कानूनी प्रक्रिया से बचाव होगा अपितु इन कब्जास्थलो से अतिरिक्त

		धनराशी भी प्राप्त होगी। भू अधिकारी, नगर निगम को यह सर्वेक्षण पूर्ण कर सदन द्वारा सरकार को केस भेजने के निर्देश दिये गये। **(भू अधिकारी नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
51	जहॉ कच्ची जगह है वहॉ पर इंटर लोकिंग टाईलें लगवायी जाये मुख्यतः जनता कालोनी।	कार्यकारी अभियंता तथा नगर अभियंता नगर निगम को मौके का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। **(सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता तथा नगर अभियंता नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
52	नगर निगम रोहतक के वार्ड नं0 6 के ताऊ नगर, हरकीदेवी कालोनी, विशाल नगर में सीवर और राम गोपाल कालोनी, बसंत विहार जसबीर कालोनी में सीवर व पानी का प्रबंध अति शीघ्र करवाया जाये।	सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग को समस्या के समाधान करने के निर्देश दिये गये।
53	वार्ड नं0 13 में सदन की पहली बैठक से लेकर आज तक एक पार्क बनवाने की मांग की गयी है लेकिन अभी तक कोई कार्य नही किया गया इसलिये निगम के द्वारा निर्धारित की गयी जगह पर जल्दी पार्क बनवाने का कार्य किया जाये।	वार्ड न० 13 में पार्क निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
54	भिवानी चौक पर हाई मास्क लाईट पास हुई थी जिसका फाऊॅडेशन तैयार है परंतु किसी कारणवश नही लग पा रही है। उसे जल्दी से जल्दी लगवाया जाये।	भिवानी चौक पर हाई मास्क लाइट पुलिस सहायता से स्वीकृत स्थल पर ही लगाने के निर्देश दिये गये। **(सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता तथा नगर अभियंता नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
55	वार्ड नं0 19 में बिजली के खंभे व केबल तार लगवायी जाये।	सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम को समस्या के समाधान करने के निर्देश दिये गये।
56	वार्ड नं0 12 में आर्य नगर में चौपाल का कार्य काफी समय से रुका हुआ है। इसे जल्द पूरा करवाया जाये।	सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता तथा नगर अभियंता नगर निगम को मौके का निरीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिये गये। **(सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता तथा नगर अभियंता नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
57	न्यू जनता कालानी में सीवर की लाईन डलवायी जाये।	सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग को समस्या के समाधान करने के निर्देश दिये गये।
58	अलकनंदा कालोनी में एक पार्क व एक कम्यूनिटी सैन्टर बनवाया जाये ताकि वहां की जनता को सुविधा पहुचायी जा सके।	कार्य प्रगति पर है।
59	वार्ड मे कुछ गलियां टूटी हुई है उन्हे दोबारा बनवाया जाये जिनके नामो की सूची नोडल अधिकारी को दी गयी है।	वार्ड नं0 1 से 20 तक के गली व नालियों के निर्माण के कार्य पार्षदगण से प्राथमिकता लेने उपरांत निविदाये आमत्रित की जा चुकी है जिनकी सूचि पार्षदगणो को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये गये। **(सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता तथा नगर अभियंता नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है)**

अन्य मुद्दे अध्यक्ष महोदया की अनुमति से:-

क्र0 सं0	ऐजन्डा	निर्णय
60	घनीपुरा क्षेत्र को वाणिज्यिक क्षेत्र घोषित करने बारे।	मेयर महोदया, वार्ड नं0-5, 15,12 व उपमेयर द्वारा घनीपुरा क्षेत्र को वाणिज्यिक क्षेत्र घोषित करने का प्रास्ताव रखा। इसपर सदन को सूचित किया गया कि नगर निगम द्वारा वाणिज्यिक सडक घोषित नही की जा सकती। सदन द्वारा हरियाणा म्यूनिसिपल बिल्डिग बाईलाज 1982 के 13(1) के तहत इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करवाकर वाणिज्यिक भवन की कार्रवई करने के निर्देश दिये। **(सम्बन्धित भवन निरीक्षक, नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
61	शिवम एन्कलेव (घनीपुरा) में पानी का बूस्टर बनाने हेतू जगह देने बारे।	सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए निर्देश दिये कि जगह की मलकियत नगर निगम के नाम रहेगी। **(भू अधिकारी, नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
62	न्यू चिन्योट कालोनी मे पार्क बनवाने बारे।	सदन को भू अधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि यह जगह कस्टोडियन की है तथा नगर निगम के नाम स्थानन्तर होने उपरांत ही इस पर कार्रवाई की जानी संभव है। सदन द्वारा भू अधिकारी को इस सम्बन्ध मे पत्राचार करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिये गये। **(भू अधिकारी, नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
63	तेज कालोनी में कम्यूनिटी सैन्टर बनवाने बारे।	सदन को सूचित किया गया कि तेज कालोनी भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया हुआ है। यहां पर भारतीय पुरातत्व विभाग से एन0ओ0सी0 लिये बिना निर्माण कार्य नही हो सकता। सदन द्वारा सामूदायिक केन्द्र के निर्माण के लिए भू अधिकारी को दूसरी जगह चिन्हित करने के निर्देश दिये गये। **(भू अधिकारी, नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
64	राजीव नगर कालोनी में पार्क की जमीन नगर निगम के नाम करने बारे।	सदन को सूचित किया गया कि राजीव नगर में खाली पडी जगह नगर निगम के नाम नही है यह जगह कलोनी को नियमित करते समय पार्क दर्शाई गई है। इसे नगर निगम के नाम करने के लिए आम सूचना जारी की जानी चाहिए तथा नियमानुसार कार्रवाई पूर्ण करने उपरांत ही यह जगह निगम के नाम हो सकती है। सदन द्वारा भू अधिकारी को इस सम्बन्ध मे पत्राचार करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिये गये। **(भू अधिकारी, नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**

65	नगर निगम के सामूदायिक केन्द्रो के संचालन व उन्हे निगम के आधीन लेने बारे।	वार्ड नं0 15 के पार्षद श्री अजय जैन द्वारा सदन में मुद्दा उठाते हुए कहा कि नगर निगम के सामूदायिक केन्द्रों के संचालन के लिए नियम निश्चित किये जाये। भू अधिकारी द्वारा सदन का सूचित किया गया कि दिनांक 26.03.2015 की बैठक में श्री अजय जैन पार्षद की अध्यक्षता में श्रीमति उपासना देवी पार्षद वार्ड नं0 8, श्री बलराज पार्षद वार्ड नं0 9, श्री अशोक खुराना पार्षद वार्ड नं0 10 व श्रीमति अनिता मिगलानी पार्षद वार्ड नं0 11 की एक समिति गठित की गई थी। इस समिति को पत्र क्रमांक 3995-99 दिनांक 6.07.2015 द्वारा वार्ड कमेटी व स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा सामूदायिक केन्द्रों के संचालन के नियमों का प्रारूप भेजा गया था। समिति द्वारा सदन को सूचित किया गया कि सामूदयिक केन्द्रो का संचालन पार्षद की अध्यक्षता में गठित वार्ड कमेटी द्वारा किया जाये। सदन मे निर्णय लिया गया कि संदर्भ में नियमों व निगम हित को ध्यान में रखते हुए निगम के अधिकारी विस्तृत प्रस्तावना तैयार करें। इसके अतिरिक्त वार्ड नं0 8 के पार्षद द्वारा सदन को सूचित किया कि बलियाणा में नगर निगम की जगह पर बने सामूदायिक केन्द्रों पर नाजायज कब्जे किये हुए है। सदन द्वारा भू अधिकारी को इसपर शीघ्र कार्रवाई करने व आगामी बैठक में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। वार्ड नं0 5 के पार्षद श्री सूरजमल व वार्ड नं0 15 के पार्षद श्री अजय जैन द्वारा श्रीराम ट्रस्ट द्वारा अनाधिकृत रूप से चलाये जा रहे सामूदायिक केन्द्र व जगह पर निगम द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। इसपर भू अधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि श्रीराम ट्रस्ट की जगह की मलकियत नगर निगम के नाम स्थानान्तरित हो चुकी है तथा बेदखली का मुकदमा दायर किया जा रहा है। भू-अधिकारी को इस पर गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। वार्ड नं0 1 के पार्षद श्री राजबीर सैनी द्वारा वार्ड नं0 1 में स्थित नगर निगम की भूमि की गिरदावरी करवाने का अनुरोध किया। भू-अधिकारी को इस पर गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। **(भू अधिकारी, नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
66	(1)दिनांक 07.07.2015 को विशेष प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री की अध्यक्षता मे हुई बैठक में लिये गये निर्णयों पर कार्रवाई करने। (2)The Haryana Municipal Citizens Participation Act, 2008 पर कार्रवाई करने। (3) The Haryana Right to service Act,2014 पर कार्रवाई करने बारे।	सदन में प्रस्ताव में वर्णित निर्णय व एक्ट की जानकारी दी गई सदन द्वारा सर्वसम्मति से इन पर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिये।

67	पैंशन वितरण में आ रही परेशानियो का निवारण करने बारे।	सभी पार्षदगण द्वारा सदन को सूचित किया कि बैंकों मे खाते खुलवाने व समय पर खातों में पेंशन लाभ न आने के कारण पार्षदगण व आम नागरिकों को काफी असुविधा हो रही है। सदन मे निर्णय लिया गया कि जिला समाज कल्याण अधिकारी सम्बन्धित बैंक के अधिकारियों व डाटाएन्ट्री आपरेटर लेकर दिनांक 31.07.2015 से वार्ड अनुसार अलग-2 तिथियों पर जायेगे जिसकी सूचना वे सम्बन्धित पार्षदगण को देंगे तथा आमजनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनकी परेशानियों का निवारण करेंगें।

सदन की बैठक में सदन द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिये गये:-

1. श्री राजबीर सैनी, पार्षद वार्ड नं0 -1, श्री अशोक कुमार, पार्षद वार्ड नं0 10, श्री सूरजमल, पार्षद वार्ड नं0.5, श्री अशोक कुमार जैन, पार्षद वार्ड नं0 15 व श्री जयकिशन, पार्षद वार्ड नं0 17 के द्वारा सुझाव दिया गया कि विकास शुल्क क्षेत्र अनुसार एवं कलैक्टर रेट पर निर्धारित होना चाहिए। सदन को सूचित किया गया कि विकास शुल्क की नोटिफिकेशन सरकार द्वारा की जाती है तथा सभी क्षेत्रो पर समान रूप से लागू होती है फिर भी सदन द्वारा निर्देश दिये गये कि विकास शुल्क कलैक्टर रेट पर करने के लिए सरकार को के भेजा जाये।
2. श्रीमती ममता रानी, सदस्य वार्ड नं0-2, श्रीमती अनिता मिगलानी, सदस्य वार्ड नं0-11, श्री संजय, सदस्य वार्ड नं0-13, श्री गुलशन ईशपुनियानी, सदस्य वार्ड नं0-12, श्री बलराज सिंह, सदस्य वार्ड नं0-9 तथा श्री जयकिशन, सदस्य वार्ड नं0-17 ने सुझाव दिये कि सभी पार्षदगणों को विधायकगणों की तरह टोल टैक्स में छूट दी जाये व मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाये। सदन को सूचित किया गया कि इस संदर्भ में पूर्व में भी सरकार को पत्र भेजा जा चुका है। इस पर सदन द्वारा सरकार से पुनः पत्राचार करने का निर्णय लिया गया।

आयुक्त नगर निगम रोहतक ने सभी उपस्थित पार्षदों को अनुरोध किया कि जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व विघुत विभाग से सम्बन्धित अपनी-2 समस्यों को अलग से लिखित मे देंगे ताकि सम्बन्धित विभागो को उन पर कार्रवाई हेतू भेजा जा सके व आगामी बैठक से पूर्व उन पर की गई कार्रवाई की रिर्पोट उनसे ली जा सके।

इसके उपरांत मेयर, नगर निगम द्वारा सभी उपस्थित पार्षदों तथा अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्ति की धोषणा की।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।

क्रमांक MCR/Mayor/2015/ ५१२-५१६

दिनांक :- 1/8/2015

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा सांसद, रोहतक लोकसभा क्षेत्र।
2. श्री शादीलाल बत्तरा, सासद राज्यसभा सदस्य।
3. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा विधानसभा सदस्य, गढ़ी सॉपला किलोई।
4. श्री मनीष ग्रोवर, विधानसभा सदस्य, रोहतक।
5. श्रीमति शकुन्तला खटक, विधानसभा सदस्य, कलानौर।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।
दिनांक 1/8/2015

क्रमांक MCR/Mayor/2015/ ५१७-५२३

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़।
2. निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, पंचकूला।
3. आयुक्त, रोहतक मंडल, रोहतक।
4. उपायुक्त, रोहतक।
5. प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
6. सभी पार्षदगण, नगर निगम, रोहतक।
7. निजी सहायक आयुक्त, आयुक्त नगर निगम, रोहतक के सूचनार्थ।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।
दिनांक 1/8/2015

क्रमांक MCR/Mayor/2015/ ५२५-५२७

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि अपने से सम्बन्धित कार्य को निश्चित समयावधि में करवाकर 15 दिन के अन्दर-2 बिन्दुवार पालना रिपोर्ट नगर निगम, रोहतक के कार्यालय में भिजवाये ताकि सदन की आगामी बैठक में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकें।

1. सभी विभागाध्यक्ष, नगर निगम, रोहतक।
2. अधीक्षक अभियंता जनस्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग रोहतक।
3. अधीक्षक अभियंता उत्तरी हरियाणा विघुत प्रसारण निगम, रोहतक।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी, रोहतक।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।